

**कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।**

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/18/2018

देहरादून : दिनांक 11 जून, 2018

-: आदेश :-

शासन के पत्र संख्या- 30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06.02.2018 के अनुपालन में विभागीय स्तर पर स्थानान्तरण सत्र 2018-19 हेतु महानिदेशालय स्तर में गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित चीफ फार्मासिस्टों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-03 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती के स्थान से कॉलम-04 में उल्लिखित नवीन तैनाती के स्थान पर जनहित पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री रमेश चन्द्र	एल०डी०भट्ट चिकि० काशीपुर, उधमसिंहनगर	महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़	जनहित
2.	श्री चंचल राम आर्या	जिला चिकि० उधमसिंह नगर	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़	जनहित
3.	श्री के० आर० आर्या०	बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल	सी०एम०एस०डी० पिथौरागढ़	जनहित
4.	श्रीमति बसन्ती देवी	महिला चि० हल्द्वानी, नैनीताल	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़	जनहित
5.	श्री एम०एस० बाम्पाल	सी०एम०एस०डी० चमोली	जिला क्षयरोगाश्रम चि० पठियालधार, चमोली	जनहित
6.	श्री जी०एल० आर्या	पुलिस चिकि० गोपेश्वर, चमोली	सी०एम०एस०डी० चमोली	जनहित
7.	श्री राकेश जोशी	सामु० स्वा० केन्द्र जोशीमठ, चमोली	टी०बी० चिकित्सालय, गोपेश्वर, चमोली	जनहित
8.	श्री बी०एस० कलूडा	समु०स्वा० केन्द्र नारसन, हरिद्वार	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	निजी अनुरोध
9.	श्री वी०के० डंगवाल	जिला महिला चि० उत्तरकाशी	संयुक्त चि० नरेन्द्रनगर, टि०ग०	निजी अनुरोध
10.	श्री उत्तम सिंह बिष्ट	जिला चिकित्सालय गोपेश्वर, चमोली	जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग	निजी अनुरोध
11.	श्री लीलाम्बर तिवारी	क्षयरोगाश्रम, भवाली, नैनीताल	सी०एम०एस०डी० उधमसिंह नगर।	निजी अनुरोध
12.	श्री अशोक ठाकुर	संयुक्त चि० नरेन्द्रनगर, टि०ग०	जिला महिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी	निजी अनुरोध
13.	श्री मनोज कुमार पाण्डे	जिला महिला चिकित्सालय, नैनीताल	जिला चिकित्सालय, अल्मोडा	निजी अनुरोध
14.	श्री पियूष पन्त	केन्द्रीय औषधि भण्डार पिथौरागढ़	जिला महिला चिकित्सालय नैनीताल	निजी अनुरोध
15.	श्री मोहन चन्द्र काण्डपाल	बेस चिकित्सालय अल्मोडा	एल०डी० भट्ट चिकित्सालय, काशीपुर, उ०सि०नगर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश की प्रति हस्तगत कराते हुये स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान हेतु कार्यभार से मुक्त करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की

चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


2. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर स्थानान्तरित कार्मिकों को वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होते हुये नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को महानिदेशालय को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा संबंधित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
4. कोई कार्मिक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा तो उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
5. निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय न होगा।
6. नियंत्रक अधिकारी द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से ही आहरित किया जायेगा।

(अर्चना श्रीवास्तव)  
महानिदेशक।

पृष्ठांकन संख्या-34/पैरा/फार्मा/18/2018 | 13655 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तराखण्ड।
4. प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।
5. समस्त सम्बन्धित प्रमुख/मुख्य/चिकित्सा अधीक्षक, जिला/बेस/संयुक्त/क्षयरोगाश्रम/राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून/मानसिक स्वास्थ्य संस्थान उत्तराखण्ड देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन निर्धारित तिथि के पश्चात नवीन तैनाती स्थान से ही आहरित करने का कष्ट करें।
7. आई0सी0अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से कि उपरोक्त आदेश को विभागीय बैबसाईट पर दिनांक 12.06.2018 तक अपलोड करवाने का कष्ट करे।
8. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
9. सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली।
10. गार्ड फाईल।



  
11/16  
(अनूप कुमार डिमरी)  
संयुक्त निदेशक(पैरा0मे0)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।

पत्र संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/18/2018

देहरादून : दिनांक 10 जून, 2018

-: आदेश/संशोधन :-

महानिदेशालय के आदेश संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/18/2018/13650 दिनांक-11.06.2018 के क्रम संख्या-01 में उल्लिखित श्री राजेन्द्र प्रसाद बलोदी, फार्मासिस्ट को श्री राजेन्द्र प्रसाद बलोदी, चीफ फार्मासिस्ट पढा जाये।

उक्त आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

(अर्चना श्रीवास्तव)  
महानिदेशक।  
तददिनांक

पृष्ठांकन संख्या-3प/पैरा/फार्मा0/18/2018 | 13658

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तराखण्ड।
4. प्राचार्य, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून।
5. समस्त सम्बन्धित प्रमुख/मुख्य/चिकित्सा अधीक्षक, जिला/बेस/संयुक्त/क्षयरोगाश्रम/राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून/मानसिक स्वास्थ्य संस्थान उत्तराखण्ड देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन निर्धारित तिथि के पश्चात नवीन तैनाती स्थान से ही आहरित करने का कष्ट करे।
7. आई0सी0अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से कि उपरोक्त आदेश को विभागीय बैबसाईट पर दिनांक 12.06.2018 तक अपलोड करवाने का कष्ट करे।
8. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
9. सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली।
10. गार्ड फाईल।

(अनूप कुमार डिमरी)  
संयुक्त निदेशक(पैरा0मे0)